

ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों
का अत्यंत सावधानीपूर्वक
अध्ययन कर व उन्हें
भली-भांति समझने के
पश्चात आयोग की वेबसाइट
पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का
प्रिंट निकालकर आवश्यक
जानकारियों की प्रविष्टि कर
साक्षात्कार के समय प्रस्तुत
करें।



प्रावधिक-पत्र
विज्ञापन की शर्तों के
अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001
फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 4500/01/चयन/2020

दिनांक 27 JAN 2021

साक्षात्कार-पत्र

सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान (उच्च शिक्षा विभाग)

महोदय/महोदया,

सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली प्रथम पाली-पूर्वाह्न 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली- अपराह्न 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति दें।

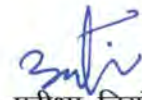
2.1 सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। (अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा) अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता- विज्ञापन की कंडिका -(क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

- 2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात् पुनर्वैधकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
- 2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
- 2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आय सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 2.12 आपके द्वारा सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआउट) की प्रति के साथ-साथ पहचान-पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता है) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।
5. विशेष टीप :- उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो-दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।
- 6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।
- 6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।
- 6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो-दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6.7 नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हैंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हैंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 27.1.2021
परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

रायपुर — 492001

उपस्थिति-पत्रक

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

यहाँ कम से कम
4.5 X 3.5 से.मी.
आकार का स्वयं
का फोटो चिपकायें
और उस पर अपने
हस्ताक्षर करें।

विज्ञापन क्रमांक पद क्रमांक

पद का नाम

रोल नंबर पंजीयन क्रमांक

आवेदक का नाम

पता

.....

(साक्षात्कार के समय उपयोग हेतु)

साक्षात्कार दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर — (हिन्दी में)

(अंग्रेजी में)

प्रभारी लिपिक के हस्ताक्षर तथा सील

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

जानकारी पत्रक

(आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पाइन्ट पेन से भरे)

पंजीयन क्रमांक	
रोल नंबर	
साक्षात्कार की तिथि	

1. विज्ञापन क्रमांक
2. आवेदित पद का नाम
3. विभाग का नाम
4. आवेदक का नाम
- हिन्दी में
- अंग्रेजी में
5. पिता/पति का नाम

यहाँ कम से कम
4.5 X 3.5 से.मी. आकार
का स्वयं का फोटो चिपकायें
और उस पर अपने
हस्ताक्षर करें।

6. जन्म दिनांक (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर) दिनांक माह वर्ष

--	--	--

शब्दों में

--

7. दिनांक 01.01..... को आयु

वर्ष

माह

दिन

--	--	--

8. जन्म स्थान, शहर/तहसील/जिला/राज्य

--	--	--	--

9. यदि आवेदक छ.ग. का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है।

--

10. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित

जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)

के अंतर्गत आवेदन दिया है। यदि हाँ तो जाति/जनजाति

तथा अन्य पिछड़े वर्ग का नाम लिखे तथा सक्षम अधिकारी

(अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा निर्धारित प्रारूप में

जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

--

11. आवेदक का -

(अ) वर्तमान डाक पता

.....
.....
.....

पिनकोड

(ब) स्थायी पता

.....
.....
.....

पिनकोड

12. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण—(प्रमाण-पत्रों/अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

परीक्षा का स्तर	बोर्ड/वि.वि. का नाम	अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष/दिनांक	श्रेणी/प्राप्तांक	प्रतिशत	परीक्षा के विषय	शैक्षणिक संस्था का नाम
हाईस्कूल/मेट्रिक्युलेशन						
इंटर मीडिएट हायर सेकेण्डरी						
स्नातक						
स्नातकोत्तर						
अन्य						

13. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहे हों तो आवेदन करने की तारीख तक धारित सभी पदों का पूर्ण विवरण दें।

पद का नाम	कार्यालय/संस्था/फर्म आदि का नाम व पता	नियुक्ति		कुल मासिक वेतन महंगाई भत्ते सहित
		कब से	कब तक	

14. यदि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो छूट का आधार तथा विज्ञापन की संदर्भित कंडिका का उल्लेख करें

15. (1) क्या आप भारत के नागरिक हैं ? (1).....
 (2) यदि आप भारत के नागरिक नहीं है तो क्या आपने (2).....
 भारत सरकार से पात्रता का घोषणा पत्र प्राप्त किया ?
16. (अ) क्या आप विवाहित हैं ?
 (ब) यदि हां तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित
 पत्नियाँ हैं ? पति हैं ?
 (स) क्या आप ग्रीनकार्ड धारी है ?
17. किसी नियोजित खेलकुद में क्या आपने राज्य, विश्वविद्यालय
 या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, यदि हाँ तो विवरण
 दें तथा प्रमाण-पत्र संलग्न करें.
 राज्य/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम
18. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी) में भाग लिया हो तो उसका
 विवरण दें उत्तीर्ण किए गए प्रमाण-पत्र तथा पद का उल्लेख
 करें तथा प्रमाण-पत्र संलग्न करें.
19. क्या आपको कभी शासकीय या अन्य सेवा से बर्खास्त किया
 गया, हटाया गया या किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित
 (दंडित) किया गया है, या आपके विरुद्ध विभागीय जांच
 लंबित है, यदि हां तो विवरण दें.
20. आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी
 परीक्षा/चयन से वंचित किया गया हो तो विवरण दें.
21. क्या आप विज्ञापन में विहित अनुभव रखते हैं, यदि हां तो
 सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें.

22. आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके
 चयन में सहायक हो, देना चाहें तो संक्षेप में अंकित करें.

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि जहां तक मेरा ज्ञान और विश्वास है. इस जानकारी पत्रक में मेरे द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियां सही है.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर.....

तारीख

स्थान

I
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
अनुप्रमाणन-फार्म
(3 प्रतियो में)

प्रपत्र-पत्र.4.....

रोल नं.

“चेतावनी”

1. अनुप्रमाणन-फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा, किसी भी प्रविष्टि को खाली न छोड़े, यदि वह आप पर लागू न हो तो वैसा स्पष्टतः अंकित करें।
2. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बन्दी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोषमुक्त आदि किया जाता है तो ब्यौरे, यथास्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन-फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किये जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था आदि भले ही मामले अंतिम रूप में प्रतिवेदित कर दिये गये हों (खात्मा) वापस लिये गये हों या उनमें अन्ततः दोष-मुक्ति हो गई हो या समझौते कर लिया गया हो।
3. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन-फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, किसी भी व्यक्ति को सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

1. पूरा नाम—(स्पष्ट अक्षरों में) तथा, उपनाम यदि कोई हो— (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उसका उल्लेख कीजिए)	कुल नाम (सरनेम) नाम
2. वर्तमान पूरा नाम—(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली/मार्ग/सड़क तथा नगर और राज्य जिसमें वह स्थिति हो)	
3. (क) घर का पूरा पता—(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली/मार्ग/सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो)	(क)
(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता था भारतीय संघ में प्रवजन की तारीख	(ख)

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहें हो, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहें हो :

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना, जिला अथवा घर क्रमांक, गली/मार्ग सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें व स्थित हो
(1)	(2)	(3)	(4)

5. पिता का—

- | | | |
|------|---|------|
| (क) | पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो | (क) |
| (ख) | वर्तमान डाक-पता
(यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछता पता पिछला पता दीजिए) | (ख) |
| (ग) | घर का स्थाई पता | (ग) |
| (घ) | व्यवसाय | (घ) |
| (ङ.) | यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम
तथा कार्यालय का पता दीजिए | (ङ.) |

6. (एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता —

- | | | |
|------|-------------------------|------|
| (क) | पिता | (क) |
| (ख) | माता | (ख) |
| (ग) | पति/पत्नि | (ग) |
| (घ) | उम्मीदवार | |
| (दो) | पति/पत्नि का जन्म स्थान | (दो) |

-
7. (क) जन्म तारीख (क)
(ख) वर्तमान आयु (ख)
(ग) मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु (ग)

-
8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो
(ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हों

-
9. (क) आपका धर्म (क)
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य
है ? "हाँ या नहीं" में उत्तर दीजिए
और यदि आपका उत्तर हां में हो, तो
उस जाति विशेष का नाम लिखिए.

10. शैक्षणिक अर्हताएँ—वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में
15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो :

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)

11. यदि आप कभी नियोजित रहें हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए -

घारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप (1)	अवधि	कार्यालय फर्म अथवा संस्था का पूरा पता (3)	पिछली सेवा छोड़ने का कारण (4)
	से तक (2)		

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है, क्या आप कभी निरुद्ध किये गये हैं, या आप से मुचलका लिया गया है। आप पर जुर्माना किया गया है. क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है ?

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन-फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंधमें आपके 'उत्तर' हां में हो तो आपको इस अनुप्रमाणन-फार्म भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने दोषसिद्धि तथा दण्डादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करना चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए. इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो, वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिये जाएंगे।

(एक) अपराध/आरोप

(एक)

(दो) पुलिस थाने में पंजीयन

(दो)

(तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम

(तीन)

(चार) मामले का क्रमांक न्यायालय द्वारा उनका निपटारा किस तारीख को किया गया,

(चार)

(पांच) दिया गया दण्ड

(पांच)

(छः) क्या दोषमुक्त कर दिया गया ?

(छः)

(सात) दोषमुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित है या मामला वापिस ले लिया गया था

(सात)

(टिप्पणी :-कृपया इस अनुप्रमाणन-फार्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देखें)

13. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या दो (1)
निर्देशियों (रेफरियों) के नाम, जो आपको जानते हों (2)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है, सही है, और पूर्ण है, मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हों, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिये या बिना कारण बताएं मेरी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बन्धनकारी होगा

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

तारीख.....स्थान.....

पहचान प्रमाण-पत्र

(प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए, इनके अलावा किसी और के हस्ताक्षर मान्य नहीं किये जाएंगे तथा इस संबंध में आगे कोई लिखा पढ़ी नहीं की जायेगी)

(एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, दो संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य, (तीन) सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/अधिकारी, (चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, (पांच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, (छह:) खंड विकास अधिकारी, (सात) पोस्ट-मास्टर, (आठ) पंचायत निरीक्षक।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पति/पति का नाम श्रीको पिछले
वर्ष.....माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे, जहां तक मुझे पता है और
जहां तक मेरा विश्वास है, सही हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

पदनाम तथा स्पष्ट मोहर एवं पता

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता

(दो) वह पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार
किया जा रहा है।

इस प्रति को भरकर उसकी 6 फोटोप्रतियां कराने के पश्चात् प्रत्येक प्रति पर पृथक हस्ताक्षर करें।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
आवेदक का व्यक्तिगत विवरण
(6 प्रतियों में)

पद का नाम

1. A. रोल नंबर/पंजीयन क्र. B. साक्षात्कार की तिथि	3. मूल निवास स्थान जिला राज्य		
2. A. नाम B. पिता/पति का नाम	4. जन्म तिथि		
5. क्या आप छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति अथवा जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, यदि हां तो जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम दें.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग

6. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं -

परीक्षा स्तर	परीक्षा के विषय	अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष व दिनांक	श्रेणी तथा प्राप्तांक (प्रतिशत)	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	अभ्युक्तियां
उच्चतर माध्यमिक / इंटर मिडिएट 10+2					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अन्य					
अन्य					

यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल में आपने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया हो तो अभ्युक्तियों के तहत जानकारी दें.

(क्रमशः)

7. यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा अशासकीय पद पर सेवारत हैं या पहले सेवारत रहें हैं तो आवेदन करने की तारीख तक धारित सभी पदों का पूर्ण विवरण दें,

पद का नाम	नियोजक कार्यालय/ संस्था/फर्म का नाम और पता	नियुक्ति		कुल मासिक वेतन महंगाई भत्ते आदि सहित (रुपयों में)
		कब से	कब तक	

8. क्या आप विज्ञापन के अनुसार आवश्यक अनुभव रखते हैं ? यदि हां तो किस प्रकार ?

.....

9. साक्षात्कार के समय यदि आप अपने संबंध में कोई विशेष जानकारी यथा एन.सी.सी. खेलकूद अथवा अभिरुचियों, प्रकाशनों आदि के संबंध में देना चाहे तो संक्षेप में कृपया अंकित करें.

.....

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)